

भीलवाड़ा



2 दिसम्बर 20

दैनिक भास्कर

पृष्ठ संख्या - 2

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

कोविड-19 महामारी को मध्यनजर रखते हुए नई पंजीकरण योजना-2020 के तहत पटेल नगर आवासीय योजना भीलवाड़ा एवं आवासीय योजना शाहपुरा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच में पाए गए अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन जिन्हें अस्थाई सूची जो कि मण्डल की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in> एवं खण्ड कार्यालय भीलवाड़ा में उपलब्ध है, में अयोग्य घोषित किया गया है, के आक्षेपों की पूर्ति हेतु वांछित वैद्य दस्तावेज नियत दिनांक 09.12.2020 सायं 05.00 बजे से पूर्व सीधे ही ऑनलाईन ई-मेल आईडी-rebhilwara2020@gmail.com एवं व्यक्तिशः खण्ड भीलवाड़ा में उपस्थित होकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नियत दिनांक तक आक्षेपों की पूर्ति नहीं किए जाने पर वरियता निर्धारण लाटरी में नाम सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक के स्वयं की होगी।

Samwad/C/7217/2020-21

उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर